पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 2114 /अका./सम्बद्धता/2016 रायपुर, दिनांक : 30/08/2016

।। आदेश ।।

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.07.2016 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2016 के अनुमोदनानुसार **सर्वतोमुखी समाधान कालेज, ग्राम–फरी, पो.–बीजाभाटा, जिला– बेमेतरा (छ.ग.)** को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय के लिये सत्र 2016–17 से अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:–

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	B.B.A. – III Year	30	2016-17
	B.Com. (Computer Application) – III Year	30	
2.	B.C.A. – III Year	30	

शर्तें :–

01. महाविद्यालय को शासन के पत्र क्रमांक 393/आउशि/अशै.प्र./2015 दिनांक 14.07.2015 के द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों/विषयों की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। शासन के उक्त आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
02. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
03 प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
04. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
05. समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
06. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है ।
07. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति व परिनियम 28 के तहत् न्यूनतम/आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह में नियुक्त/पूर्ण करें।
08. शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी ।

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 2115 /अका./सम्बद्धता/2016 रायपुर, दिनांक : 30/08/2016

प्रतिलिपि :–

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
02. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
03. संबंधित महाविद्यालय के संचालक/प्राचार्य को।
04. संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
05. स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
06. अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
07. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल, विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ ।

वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)

भाग "ब"

भाग 'अ' में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिंदुवार प्रतिवेदन।

[प्रतिवेदन में अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिए शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।]

वि.वि. पत्र क्रमांक 1670/अका/2016 रायपुर दिनांक 05/7/16 के संदर्भ में निरीक्षण किया गया।

1. BBA IIIrd year, BCA IIIrd year & B.Com.(Computer Application) सभी (30) सीट के लिये Infrastructure पर्याप्त है।
2. BCA IIIrd & B.Com(C.A) के Computer Lab 40 nodes के साथ उपलब्ध है लेकिन Licence software होने की आवश्यकता है।
3. Library में पुस्तके छात्र/सीट सं. के अनुपात में क्रय किये जाने की आवश्यकता है।
4. परिनियम 28 के तहत शिक्षक नहीं है लेकिन अन्य शिक्षक उपलब्ध हैं। परिनियम 28 के तहत नियुक्ति हेतु विज्ञापन एवं अन्य कार्यवाही की गई है। (संलग्न है)
5. सम्बद्धता अपेक्षित शर्तों के साथ मान्य की जा सकती है

निरीक्षण समिति के संयोजन का नाम एवं हस्ताक्षरण : 1. [signature] 21/7/16

निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर – नाम–पता : 2. डॉ. विजय श्रीवास – [signature] 21/7/16

विषय विशेषज्ञ /विशेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं नाम–पता : 3. डॉ. ए. के. तिवारी [signature] 21/07/16

....

दिनांक ....

प्रति,

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

===

[signature]

सचिव
सर्वतोमुखी समाधान शिक्षा संस्कार समिति
33, सांई रेसीडेंस लालपुर
रायपुर (छ. ग.)